रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करते हुए उक्त धारा की अपेक्षा के अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

अब, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो बोर्ड के साथ परामर्श किए बिना नियम बनाने की आवश्यकता प्रदान करती है;

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 36 के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, इन नियमों के बनाए जाने के छह मास के भीतर केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करेगी और उन सुझावों पर विचार करेगी जो बोर्ड इन नियमों के संशोधन के संबंध में दे;

उक्त नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले आक्षेपों और सुझावों को प्राप्त किया जा सकेगा और केंद्रीय सरकार उन पर विचार करेगी;

उक्त नियम के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में,—

(i) नियम 9 के उपनियम (3) के खंड (vi) और खंड (vii) को हटा दिया जाएगा ।

(ii) पहली अनुसूची के प्ररूप V में शीर्षक 'शर्तें' संख्यांक (6) और संख्यांक (7) को हटा दिया जाएगा ।

[फा. सं. 13035/35/2013-पीपी-I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्न द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए हैं :—

1. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ) तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ) तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ) तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ) तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 548(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा.का.नि. 692(अ) तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 128 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2009,
10. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 5 मार्च, 2010, और
11. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 11 जुलाई, 2013 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

G.S.R. 60(E).—The following draft rule further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of forty- five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Whereas, the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules without consulted with the Board;

In terms of proviso to section 36 of the Act, the Central Insecticide Board shall be consulted within six months of the making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Board may make in relation to the amendment of the said rules;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the period of forty-five days aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2014.
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971,—
 (i) In rule 9, in sub-rule (3) clauses (vi) and (vii) shall be omitted.
 (ii) In *FIRST SCHEDULE*, in FORM V, under the heading 'conditions' numbers (6) and (7) shall be omitted.

[F. No. 13035/35/2013-PP-I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650(E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010, and
11. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.